



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1279]
No. 1279]नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

स्टाम्प

का.आ. 2789(अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, दिनांक 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 28 जनवरी, 2004 के सांविधिक आदेश 130(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः :—

2. उक्त आदेश की सारणी में,—

(क) अनुच्छेद 27 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः :—

“27. विपणन योग्य प्रतिभूति होने के कारण डिबेन्चर (चहे बंधक डिबेन्चर हो या नहीं)— डिबेन्चर के अंकित मूल्य का 0.05 प्रतिशत वार्षिक, वार्षिक कि वह 0.25 प्रतिशत की

(क) पृष्ठांकन द्वारा या अन्तरण के अधिकतम सीमा या 25 लाख पृष्क लिखत द्वारा रुपये इनमें से जो भी कम है

(ख) सुपुर्दगी द्वारा अन्तरणीय के अध्यक्षीन हो।

स्पष्टीकरण—“डिबेन्चर” शब्द में कोई भी उससे संलग्न ब्याज कूपन शामिल होता है परन्तु ऐसे कूपन की राशि को शुल्क का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाएगा।

छूट

किसी पंजीकृत बंधक नामे की शर्तों के अनुसार किसी निगमित कम्पनी या निगमित इकाई द्वारा जारी डिबेन्चर के अनुसार जो उसके तहत जारी होने वाले डिबेन्चर की पूर्ण राशि के लिए विधिवत मूल्यांकित है, द्वारा कंपनी या निगमित डिबेन्चर कारकों के हित में ट्रस्टियों के पास उनकी सम्पत्ति पूर्णतः या आंशिक रूप से रख कर उधार लेता है :

वशर्त कि इस प्रकार जारी डिबेन्चरों को उक्त बंधक नामे के अनुसार जारी माना गया हो।”

(ख) अनुच्छेद 49 के खंड (ख) में तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"49. प्रामिसरी नोट [धारा 2(22) द्वारा
व्यापारिभाषित]—

(ख) मांग के अन्यथा जहाँ मांग से अन्यथा भुगतान योग्य समान
वह भुगतान योग्य है राशि के लिए विनिमय पत्र (अनुसूची
I की संख्या 13) यथा प्रयोज्य शुल्क
का पाँचवाँ भाग ।"

[फा. सं. 33/7/2006-एस टी]
अरविंद कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी :—मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग
II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 28 जनवरी, 2004
की सं. का. अ. 130(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2004 के
तहत प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 12th September, 2008

STAMPS

S.O. 2189(E).—In exercise of the powers conferred
by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian
Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby
makes the following amendments in the Order of
Government of India in the Ministry of Finance (Department
of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary,
Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 28th January,
2004, vide number S.O. 130 (E), dated the 28th January,
2004, namely :—

2. In the said Order in the table, —

(a) for article 27 and the entries relating thereto
the following shall be substituted, namely :—

"27. Debenture (whether a mort- gage debenture or not), being a marketable security transferable—	0.05% per year of the face value of the debenture, subject to the maximum of 0.25% or rupees twenty five lakhs whichever is lower.
(a) by endorsement or by a separate instrument of transfer	
(b) by delivery	

Explanation—The term
"Debenture" includes any interest
coupons attached thereto but the
amount of such coupons shall not
be included in estimating the duty.

Exemption

A debenture issued by an
incorporated company or other
body corporate in terms of a
registered mortgage-deed, duly
stamped in respect of the full amount
of debentures to be issued
thereunder, whereby the company
or body borrowing makes over, in
whole or in part, their property to
trustees for the benefit of the
debentures holders :

Provided that the debentures so
issued are expressed to be issued
in terms of the said mortgage-deed."

(b) in article 49 for clause (b) and the entries relating
thereto, the following shall be substituted, namely :—

"49. PROMISSORY NOTE
[as defined by Section 2(22)] —

(b) where payable otherwise than on demand.	One-fifth of the duty as applicable to Bill of Exchange (No. 13 of Schedule I) for the same amount payable otherwise on demand."
--	---

[F. No. 33/7/2006-ST]

ARVIND KUMAR, Under Secy.

Note :—The principal notification was published in the
Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,
Sub-section (ii), dated the 28th January, 2004 vide
number S.O. 130(E), dated the 28th January, 2004.